Engineering Universe for Scientific Research and Management
ISSN (Online): 2319-3069
Vol. XV Issue XI
November 2023

पटना में स्कूली शिक्षा में शैक्षिक सुधारों और इसके प्रभावों का विश्लेषण

विमला राय[1], डॉ. ऋषिकेश यादव[2]
अनुसंधान छात्र, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज, सिहोर[1]
प्रोफेसर, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज, सिहोर[2]

सारांश:

प्रस्तुत शोध पटना में स्कूली शिक्षा में शैक्षिक सुधार और इसके प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन के विशेष संदर्भ से संबंधित है। यह पांच अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय प्रस्तावना है, जो स्कूली शिक्षा से संबंधित शैक्षिक सुधारों की मूलभूत तथ्यों को दर्शाती है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और शिक्षा के इतिहास में एक नया युग प्रारम्भ हुआ। आजादी के पश्चात् देश की नयी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के प्रयास किए गए। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौम, माध्यमिक शिक्षा को बहुउद्देशीय और उॅच शिक्षा के स्तर को उन्नति बनाने का प्रयत्न किया गया। शिक्षा के तीव्र विकास को महत्व दिया गया तथा महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में शिक्षा प्रसार को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय जनता की आशाओं के आलोक में संविधान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इसलिए भारतीय संविधान में अनेक शैक्षिक विषयों को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान के खण्ड में शिक्षा सम्बन्धी अनेक प्रावधान किए गए तथा संविधान तथा राज्य के शैक्षिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट कर दिया गया था।

कीवर्ड: शैक्षिक सुधारों, प्राथमिक शिक्षा, भारतीय संविधान

1. शिक्षा की उपलब्धता का मूल्यांकन

15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और शिक्षा के इतिहास में एक नया युग प्रारम्भ हुआ। आजादी के पश्चात् देश की नयी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के प्रयास किए गए। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क, सार्वभौम, माध्यमिक शिक्षा को बहुउद्देशीय और उच्च शिक्षा के स्तर को उन्नति बनाने का प्रयत्न किया गया शिक्षा के तीव्र विकास को महत्व दिया गया तथा महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में शिक्षा प्रसार को विशेष प्रोत्साहन दिया गया।

स्वतंत्रता के पश्चात् 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय जनता की आशाओं के आलोक में संविधान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इसलिए भारतीय संविधान में अनेक शैक्षिक विषयों को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान के खण्ड में शिक्षा सम्बन्धी अनेक प्रावधान किए गए तथा संविधान केन्द्र तथा राज्य के शैक्षिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट कर दिया गया था। भारतीय संविधान में शिक्षा के सम्बन्ध में किए गए विभिन्न प्रावधान इस प्रकार है

शिक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार विभाक्षित है। शिक्षा का यह अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अनुसार प्रवाहित होता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहित स्वतंत्रता से प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का यह मूल अधिकार नागरिकों को अपने जीवन को अच्छी प्रकार व सार्थक ढंग से जीने की संरक्षण की प्रत्याभूति कराता है। इसकी परिधि में शिक्षा एक अप्रमाणित अधिकार के रूप में सम्मिलित है।

निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। आयु होने अल्पसंख्यकों की शिक्षा भारतीय संविधान में अलपसंख्यकों के शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए अनुच्छेद व 2 में अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे अपने धर्म एवं भाषा के आधार पर शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं तथा प्रशासित कर सकते हैं। राज्य सरकार अनुदान देते समय इन संस्थाओं में केवल इसलिए भेदभाव नहीं करेगा कि ये संस्थाएँ अल्पसंख्यकों के द्वारा विशेष नियमों के अन्तर्गत चलायी जाएगी।

समान शैक्षिक अधिकार –लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए बिना भेदभाव के जैसे– (जाति, धर्म या स्तर) अवसर प्रदान किया गया। लोकतंत्र में इस मूलभूत मान्यता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 29 में सभी व्यक्तियों को समान शैक्षिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। अनुच्छेद 29–2 में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों की शिक्षा – संविधान के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षिक अथवा आर्थिक प्रगति के लिए विशेष प्रावधान करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं धोखे से बचाने का प्रयास भी करेगा।

धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता –भारत एक धर्म–निरपेक्ष राष्ट्र है अतः संविधान के अनुच्छेद 28 (1.2 तथा 3) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालितशिक्षा संस्था में

धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। परन्तु यदि सरकार द्वाराप्रशासित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था की स्थापना किसी ऐसे न्यासके अधीन हुई है जिसमें कुछ धार्मिक क्रियाएं आवश्यक है तो उस संस्था मेंउन धार्मिक क्रियाओं की शिक्षा दी जाती है। संविधान के इस अनुच्छेद में यहमी प्रावधान है कि मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था मेकिसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म की पूजा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएँ – अनुच्छेद 350 में यह प्रावधान है कि भाषा की दृष्टि सेअल्पसंख्यक समूह के बालकों के मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

हिन्दी भाषा का विकास – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधानहै किराष्ट्रभाषा हिन्दी भाषा का विकास प्रसार तथा संवर्धन किया जाए।

स्त्रियों तथा पिछड़ें पिछड़ेवगों की शिक्षा –भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3 व 4) में महिलाओं तथासामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया। अनुच्छेद 15 (1) धर्मजाति, लिंग आदिके आधार पर विभेद करने पर रोक लगायी गयी है। अतः स्पष्ट है किमहिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विशेष व्यवस्था के लिए संविधान पूर्णरूप से स्वतंत्र है।

केन्द्र और राज्यों की शिक्षा सम्बन्धी अधिकार संविधान के अनुच्छेद 246 में केन्द्र द्वारा राज्य सरकार के शैक्षिक उत्तरदायित्वों तथा अधिकार क्षेत्र का विभाजन किया गया संविधान के सातवीं अनुसूची में तीन सूची बनायी गयी है। प्रथम सूची, केन्द्र सूची जिसमें दिए गए विषयों पर केन्द्र सरकार या संसद कानून बना सकती है। द्वितीय सूची राज्य सूची जिसमें दिए गए विषयों पर राज्य सरकार या विधानसभा कानून बना सकती है। तृतीय सूची समवर्ती सूची जिसमें दिए गए विषयों परकेन्द्र या राज्य दोनों कानून बना सकती है। परन्तु यदि केन्द्र या राज्य द्वारा बनाए कानूनों में अन्तर होता है तो केन्द्र का कानून वैध होगा। तथा राज्य का कानून असंगतता की सीमा तक अप्रभावी हो जाता है।

26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर शिक्षा सम्बन्धी कानून व व्यवस्था के अधिकार दे दिये गए। केन्द्र को राष्ट्रीय महत्त्व की शिक्षा संस्थाएं, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा वअनुसंधान के स्तर का आदि विषयों पर कानून बनाने तथा व्यवस्था करने काअधिकार दिया गया था। परन्तु सन् 1977 में किए गए संविधान संशोधन केंद्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है अतः अब शिक्षासम्बन्धी विषयों पर केन्द्र व राज्य को दोनों को ही कानून व व्यवस्था काअधिकार प्राप्त होता है। परन्तु केन्द्र व राज्यों के कानून में विरोध होने परकेन्द्र का कानून प्रभावी माना जाएगा।

2.पूर्व अनुसंधान एवं संबंधित शोध साहित्य का समीक्षा

'शोध साहित्य' अनुसंधान के विशेष क्षेत्र के ज्ञान की ओर इंगित करता है तो ''समीक्षा'' शब्द का अर्थ है शोध विषय के क्षेत्र की व्यवस्था करना एवं प्राप्त ज्ञान को व्यवस्थित कर विस्तार देना। यह बताना कि शोधार्थी द्वारा किया गया अध्ययन उस क्षेत्र विशेष में योगदान होगा। इसमें शोधार्थी द्वारा किये अध्ययन को युक्ति पूर्वक कथन करने के लिये ज्ञान को अपने ढंग से एकत्रित कर प्रस्तुत करना होता है। संबंधित साहित्य का अध्ययन अनुसंधान मार्ग में अनुसंधान की मौलिकता को आधार प्रदान करता है। शिक्षा सुधार के संबंध में अध्ययन किया तथा पाया कि जिन विद्यार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होता है उनका शिक्षा स्तर भी निम्न होता है। माध्यमिक ग्रामीण विद्यार्थियों में शिक्षा सुधार एवं विद्यालय की संवेगात्मक, शिक्षा जागरूकता, सचेतना, शहरी विद्यार्थियों से बेहतर पायी गयी। शहरी विद्यालय में शिक्षा संरक्षण अनुकूलन एवं उनके विद्यालयों के योगदान का अनुकूलन बेहतर पाया गया। पाठयक्रम में शिक्षा संरक्षण सीखने के अवसर सहयोगियों के लिए शिक्षा नियंत्रण के एकीकरण शैक्षिक दृष्टिकोण, विचार विमर्श की आवश्यकता है। शिक्षा का ध्यान केन्द्रित शिक्षा हर व्यक्ति के लिए आरम्भ करने के लिए है और प्रभावी ढंग से आदेशात्मक शिक्षा सुधार मुददों पर जोर और शिक्षा में बदलाव प्रमाणित परिणामों में वांछित है छात्र–छात्राओं के शिक्षा उपलब्धि में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया पारिवारिक, सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर विद्यार्थियों में शिक्षा सुधार का अध्ययन किया और पाया कि शिक्षा सुधार को प्रभावित करने में पारिवारिक सामाजिक स्तर की तुलना में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थियो का शिक्षा अनुकूलन एवं शिक्षा संरक्षण का स्तर सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थियो की तुलना में उच्च पाया गया ग्रामीण छात्राओं में शिक्षा संरक्षण व शिक्षा सुरक्षा स्वच्छता के उपरोक्त क्षेत्र में अधिक समस्याएं पायी गयी जबकि शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं के शिक्षा संरक्षण, व शिक्षा जागरूकता में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। विद्यालयीन तथा अध्ययन संबंधी, परिवार संबंधी पाई गयी। सबसे कम समस्या शारीरिक एवं लैंगिक क्षेत्र में पाई गयी। छात्राओं की समस्या तथा समस्याओं की मापन हेतु एक मापनी के निर्माण पर एक अध्ययन किया जिसके मुख्य उद्देश्य शहरी छात्राओं की शिक्षा संरक्षण के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि छात्रों में सामाजिक, शिक्षा, विद्यालयीन तथा व्यक्तिगत समस्याएं अधिक पाई गयी ।

शोधार्थी ने अध्ययन के निष्कर्ष पाया कि उच्च समस्या समूह वाले विद्यार्थियों में निम्न समस्या समूह वाले विद्यार्थियों की तुलना में निम्न व्यक्तित्व अनुकूलन एवं निम्न रचनात्मक ऊर्जा, उच्च आकांक्षा स्तर व उच्च आत्मस्वीकृति पायी गयी। समस्याओं का व्यक्तित्व अनुकूलन, आकांक्षा स्तर तथा रचनात्मक ऊर्जा से ऋणात्मक सह–संबंध पाया गया व्यवहारगत समस्याओं तथा उनके कारणों का अध्ययन किया जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी, औद्योगिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के विद्यार्थियों की व्यवहारगत शिक्षा संरक्षण के समस्याओं की पहचान करना, उनके कारणों को जानना व उनमें से प्रमुख कारणों को पहचानना था। इसके लिए स्तरानुसार प्रतिचयन विधि द्वारा सर्वप्रथम विद्यालयों का चयन किया गया फिर उन विद्यालयों से व्यवहारगत शिक्षा समस्याओं

वाले सभी विद्यार्थियों का चयन किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष पाया कि असंतोषजनक पारिवारिक स्थिति विद्यार्थियो में पर्यावरण संरक्षण के समझने का अभाव तथा शिक्षा के प्रति अनभिज्ञता समस्याओं के प्रमुख कारण थे। परिवार व विद्यालय का स्वस्थ वातावरण छात्र–छात्राओं को शिक्षा संरक्षण के प्रति संवेगात्मक रूप से प्रभावित करता है । विद्यालयीन के शिक्षा कार्यक्रमों में छात्र–छात्राओं की भागीदारी एव विद्यालय के सामाजिक स्थिति, अध्यापकों और छात्रों के शिक्षा सुधार में योगदान पाया गया। शोधार्थी द्वारा पाया गया कि विभिन्न प्रकार कि पारिवारिक संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के शिक्षा, अभिप्रेरणा एवं शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर है। शोधकर्ता अपने अध्ययन में पाया था कि जिन छात्रों का बौद्धिक स्तर उच्च था उनमें निम्न बौद्धिक स्तर वाले छात्रों की तुलना में बेहतर शिक्षा का स्तर पाया गया। अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि विद्यालयीन संस्थागत वातावरण विद्यार्थियों के गृह, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक तथा विद्यालयीन अनुकूलन को प्रभावित नहीं करता है। अपने अध्ययन के निष्कर्ष ज्ञात किया कि शिक्षा की समस्याओं के लिये विभिन्न कारक जिम्मेदार होते हैं, जिनमें अत्याधिक अस्वछता, अशिक्षा, पारिवारिक वातावरण, शिक्षा सुरक्षा के प्रति अभिन्नता एवं अध्ययन के संबंध में छात्र–छात्राओं में रूचिता का अभाव है। अपने अध्ययन के निष्कर्षतः पाया कि सामाजिक–आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने पर संतुष्टिजनक पारिवारिक वातावरण वाले छात्रों का शिक्षा असंतोषजनक पारिवारिक परिवेश वाले छात्रों से बेहतर पाया गया,। छात्राओं के मामले में पारिवारिक परिवेश तथा शिक्षा के स्तर में कोई सहसंबंध नहीं पाया गया अपने शोध में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मनुष्य के इच्छित कार्यो द्वारा प्राकृतिक परिस्थितिकी तन्त्र में इतना अधिक अन्तर हो जाता है के उसके दृष्परिणाम परिणामस्वरूप शिक्षा की गुणवता में आवश्यकता से अधिक हास होने से मानव समाज पर दूरगामी हानिकारक प्रभाव पड़ने लगते है।

कपूर और मेहता (2022) ने भारतीय उच्च शिक्षा सुधार पर एक अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने भारतीय उच्च शिक्षा के नियामक परिदृश्य को आकार देने में न्यायपालिका की भूमिका की भी जांच की और तर्क दिया कि उच्च शिक्षा के नियामक परिदृश्य को आकार देने में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन वर्तमान समय में न्यायपालिका शिक्षा सुधार के व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा होने के बजाय, निजी पहल राज्य के विवेकाधीन कार्यों के बंधक बने हुए हैं। नतीजतन, शिक्षा प्रणाली एक तरफ राज्य द्वारा अति–नियमन और एक विवेकाधीन निजीकरण के बीच झुलता रहता है।[६]

3. शोध प्रविधि का प्रारूप

3.1 शोध प्रारूप

अनुसंधान विधि एक वैज्ञानिक विधि है इसके अन्तर्गत अनुसंधानकर्ता सदैव कुछ न कुछ नई खोज करने को इच्छुक रहता है यह पहले से ही प्राप्त ज्ञान के भण्डार में योगदान करने की विधि है इसलिए शोध–कर्ता प्रयोग करते समय यह कल्पना करता है कि वह अनुसन्धान परिस्थितियॉ जिनमें वह प्रयोग करना चाहता है न पहले कभी अस्तित्व में थी और न अब है। परिस्थिति से अभिप्राय यहॉ कार्यक्रम, पाठ्यक्रम या विधि से है जिसमें कोई परीक्षण किया जाता है।

जहोदा के अनुसार– प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है आविष्कारों का उदेश्य तथ्यों के बीच नियन्त्रित दशाओं में कार्य सम्बन्धी घटित हो रहा है। प्रयोगात्मक वह विधि है जिसमें स्वतन्त्र चर पर अश्रित चर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।

अनुसंधान ऐसा व्यवस्थित, विश्वसनीय एवं नियंत्रित अध्ययन है, जिसमें विभिन्न चरों एवं विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंध का अन्वेषण तथा विश्लेषण उपयुक्त सांख्यिकी विधि द्वारा किया जाता है, जो संबंधों अथवा प्रभाव को एक दिशा प्रदान करता है, ये दिशा शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं के अध्ययन करने एवं उसमें अपेक्षित परिवर्तनीय सुधार करने मे मदद करता है।

यदि अनुसंधान में विश्वसनीयता व वैधता का अभाव रखा जाये तो ऐसी दशा में प्राप्त निष्कर्ष शिक्षा के क्षेत्र मे ठोस निर्णय नही प्रदान कर पायेगा, इसलिये अनुसंधानों में प्रयोगात्मक रूप से अनुसंधान करना अनिवार्य हो जाता है। वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य यह है कि जिन परीक्षणों के आधार पर हमें आंकड़े प्राप्त करने होते है, यदि वे वैधता एवं विश्वसनीयता रखते है तो ऑकड़े सही निष्कर्ष लेने मे सहायक होंगे। अतः स्पष्ट है कि यदि शोध का आधार वैज्ञानिक विधि होगी तो प्राप्त परिणाम विश्वसनीय होगें।

साहित्य समीक्षाः यह अध्ययन की समस्या को साधन प्रदान करता है, शोध समस्या का चयन करने और पहचानने के लिए समानता प्राप्त करता है। शोध कर्ता साहित्य के समीक्षा के आधार पर अपनी परिकल्पनायें बनाता है। यह अध्ययन के लिए आधार प्रदान करता है । अध्ययन के परिणामों और निष्कर्षो पर वाद–विवाद किया जा सकता है। जिसका उपयोग शोधकर्ता अपने शोध में किया है।

3.2 शोधकार्य की योजना

शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा सुधार के उददेश्य को ध्यान में रखकर शिक्षा की योजना का निर्माण किया गया है। योजना का उददेश्य किसी भी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य की योजना इस प्रकार बनाई गयी है। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गयी योजना कार्य की सफलता की घोतक है तथा शोधकर्ता के कार्य को उददेश्यपूर्ण एवं सफल बनाकर उसे गतंव्य तक पहुॅचने में मद्द करती है।

प्रस्तुत शोध के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर शोधकार्य की योजना बनाई गयी है जो कि निम्न बिन्दुओं में पूर्णतः की ओर अग्रसर होगी –

1. सर्वप्रथम पूर्व में किये गये शोधकार्यों एवं विषय के निर्धारण के पश्चात् प्रस्तुत शोधकार्य के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया।
2. तत्पश्चात् शोध के उद्देश्यों एवं पूर्व शोधकार्यों के आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया।

3. तत्पश्चात् पटना जिले में स्थित माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिहार., पटना से संबद्धता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की गयी।
4. शोधकर्ता ने पटना जिले में स्थित माध्यमिक विद्यालयों में से कुल 20 विद्यालयों, जिनमें से शहरी क्षेत्र में स्थित 10 विद्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित 10 विद्यालयों का चयन लॉटरी विधि द्वारा किया गया।
5. चयनित विद्यालयों के विद्यार्थियों की सूची प्राप्त कर उनमें से कुल 400 विद्यार्थियों, जिनमें से शहरी क्षेत्र के 200 विद्यार्थियों (100 छात्र 100 छात्राएं) तथा ग्रामीण क्षेत्र के 200 विद्यार्थियों (100 छात्र 100 छात्राएं) का चयन साधारण यादृच्छिक न्यादर्श विधि के अन्तर्गत निश्चित क्रम विधि द्वारा किया गया।
6. इस प्रकार सभी चयनित विद्यालयों से प्रदत्त एकत्रित किये गये एवं एकत्रित प्रदत्तों की जांच फलांकन कुंजी की सहायता से कर मूल प्राप्तांक प्राप्त किये गये।
7. मूल प्राप्तांकों को शोध उद्देश्यों की आवश्यकतानुरूप शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र, छात्र एवं छात्राओं आदि भागों में वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया तथा मास्टर शीट तैयार की गयी।
8. मॉस्टर शीट में अंकित प्रदत्तों का विभिन्न सांख्यिकीय विधियों –क्रांतिक अनुपात परीक्षण, सहसंबंध मध्यमान, मानक अनोवा परीक्षण एवं विचलन द्वारा विश्लेषण कर परिणाम प्राप्त किये गये।
9. प्राप्त परिणामों के आधार पर परिकल्पनाओं का सत्यापन किया गया तथा परिणामों की व्याख्या की गयी।
10. प्राप्त परिणामों तथा परिकल्पनाओं के पुष्टिकरण के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त कर तदानुसार विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये।

3.3 शोध प्रविधि

पाठयवस्तु विश्लेषण विधि का उपयोग शिक्षण तथा शोध दोनों ही क्रिया में किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया से ज्ञान की पाठयवस्तु का संचार एवं प्रसारण नई पीढ़ी को दिया जाता है। शोधकार्यो के परिणामों की विश्वसनीयता, अपनाई गयी शोधविधि पर निर्भर करती है एवं शोध विधि का चुनाव शोध समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी भी शोधकार्य में अनुसंधान विधि या शोध विधि वह महत्वपूर्ण चरण है जिसके माध्यम से शोधकार्य को पूर्ण करने के लिये अनुसंधान अभिकल्प का निर्धारण किया गया, जो शोधकार्य को एक निश्चित दिशा प्रदान कर परिकल्पनाओं के सत्यापन के रूप में निष्कर्ष प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ। अनुसंधान अभिकल्प या शोध विधि जहॉ एक ओर सुनिश्चित योजना बनाने में सहायक हुई है वहीं दूसरी ओर न केवल प्रतिनिधिपूर्ण प्रतिदर्श के चयन में वरन् प्रदत्त संग्रहण के लिये मानकीकृत एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के चयन में सहायक हुई। अनुसंधान अभिकल्प यह भी निश्चित करता है कि परिकल्पनाओं के सत्यापन के लिये किस प्रकार की सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार यदि अनुसंधान अभिकल्प या शोध विधि का उपर्युक्त तरीके से निर्माण कर लिया गया है तो शोधकार्य में कठिनाईयों के होने की संभावनाओं को दूर किया जा सके। किसी भी शोधकार्य के सफल होने की संभावना अपनाई गयी शोध विधि पर ही निर्भर करती है। वर्तमान अध्ययन में हाईस्कूल के विद्यार्थियों के पर्यावरण संसाधनों का संरक्षण का अध्ययन किया गया है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। सर्वेक्षण विधि अनुसंधान में बहुत अधिक प्रचलित तथा उपयोग की जाने वाली विधि है, क्योंकि इस विधि के द्वारा प्रयोज्यों को प्रश्नावली देकर उनसे उत्तर प्राप्त किया गया हैं। प्रस्तुत शोध में प्रदत्त संकलन के लिये सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इस हेतु सर्वप्रथम अनुसंधान हेतु चयनित क्षेत्र भोपाल एवं सीहोर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की गयी। इस सूची में से कुल 20 विद्यालयों, जिनमें से शहरी क्षेत्र में स्थित 10 विद्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित 10 विद्यालयों का चयन लॉटरी विधि द्वारा किया गया। इन चयिनत विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से कुल 400 विद्यार्थियों का चयन साधारण यादृच्छिक न्यादर्श विधि के अन्तर्गत निश्चित क्रम विधि द्वारा किया गया, जिनमें से शहरी क्षेत्र के 200 विद्यार्थी (100 छात्र 100 छात्राएं) तथा ग्रामीण क्षेत्र के 200 विद्यार्थी (100 छात्र 100 छात्राएं) थे। इन चयनित विद्यार्थियों को शोधकार्य के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान कर उन्हे आवश्यक निर्देश दिये गये व उन पर 'हाईस्कूल एडजस्टमेन्ट इन्वेंट्री' का प्रशासन किया गया। इस प्रकार प्रदत्त एकत्रित किये गये एवं एकत्रित प्रदत्तों की जांच फलांकन पुस्तिका की सहायता से कर मॉस्टर शीट तैयार कि गयी। मॉस्टर शीट में अंकित प्रदत्तों का विभिन्न सांख्यिकीय विधियों द्वारा विश्लेषण कर परिणाम प्राप्त किये गये। प्राप्त परिणामों के आधार पर परिकल्पनाओं का सत्यापन कर निष्कर्ष प्राप्त किये गये एवं तदानुसार सुझाव प्रस्तुत किये गये।

प्रस्तुत लघुशोध कार्य मे शोधकर्ता ने ''माध्यमिक विद्यालय के छात्र–छात्राओं की शिक्षा में उपयोगी संसाधनों की क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन'' विषय का चयन किया है। इस हेतु माध्यमिक विद्यालय स्तर के छात्र–छात्राओं का चयन किया गया है, ये छात्र–छात्राएं पटना जिले में स्थित माध्यमिक विद्यालयों मे अध्ययनरत है।

जनसंख्या या सार्वभौम का निर्धारण कर लेने के पश्चात् उसमें से प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान में प्राचलिक विधि की सीमाओं के कारण जब प्राचलिक विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, तब प्रतिचयन विधियों की सहायता से एक प्रतिदर्श चुनकर प्रतिदर्श पर अनुसंधान समस्या का अध्ययन किया जाता है। अप्राचलिक पद्धति को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि जब किसी गुण या विशेषता के सम्बन्ध में समष्टि या सम्पूर्ण जनसंख्या से कुछ इकाईयां चुन ली जाती हैं या प्रतिदर्श चुन लिया जाता है और इस प्रतिदर्श का

अध्ययन कर वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त किये जाते हैं तो इसे अप्राचलिक विधि या पद्धति कहते है। अप्राचलिक विधि को प्रतिचयन विधि भी कहते है।

4. निष्कर्ष

किसी भी राष्ट्र का विकास उसके निवासियों की शिक्षा पर निर्भर है। स्वतंत्रता के बाद भारत में नवनिर्माण के उद्देश्य से देश की शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित व सुसंगठित करने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता के उपरांत प्रत्येक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना आवश्यक था, ताकि भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके। हालांकि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विचार किया गया, परन्तु प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही शिक्षा का आधार था। हालांकि माध्यमिक व उच्च शिक्षा व्यवस्था में भी समय–समय पर सुधार किया गया।

रहवास की प्रकृति अर्थात् शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र का छात्रों के समग्र समग्र शिक्षा सुधार व विभिन्न क्षेत्रों में समग्र शिक्षा सुधार (गृह, सामाजिक व विद्यालयीन) पर कोई प्रभाव नहीं पाया जाना इस बात का घोतक है कि वातावरण चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण, समग्र शैक्षिक सुधार को समान रूप से प्रभावित कर रहा है। यदि हम अपने देश के विकास की ओर दृष्टि डाले तो न केवल केन्द्र सरकार बल्कि राज्य शासन भी ग्रामीण विकास की ओर निरंतर प्रयासशील हैं, और विद्यार्थियों का ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में पलायन न हो इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है, ऐसी स्थिति में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो अंतर है वह प्रमुख रूप से केवल 'दूरी' के रूप में रह गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावक भी अपने बच्चों को अधिक से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में प्रयासरत होते हैं, साथ ही अध्ययन के लिये ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों को जो सुविधायें प्रदान की जा रही हैं, वे भी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की ओर निर्देशित करती हैं। साथ ही शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के अभिभावक अपने लडकों के विभिन्न क्षेत्रों में समग्र शिक्षा सुधार को लेकर सचेत रहते हैं, क्योंकि वह जानते है कि यदि उनके पुत्र का समग्र शिक्षा अच्छा नहीं होगा तो वह विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा, ऐसी स्थिति में जब शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं में अधिक अंतर नहीं है, तब शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के समग्र शिक्षा सुधार व विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण शिक्षा में अंतर न होना स्वभाविक प्रतीत हो रहा है।

संदर्भ

1. खुर्शीद, एफ. तनवीर, ए. और कुसमी, एफ. एन. (2012) ने रिलेशनशिप बिट्विन स्टडी हैबिट्स एण्ड एकेडेमिक अचीवमेंट अमंग हॉस्टल लिविंग एण्ड उडे स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट्सष, ब्रिटिश जर्नल ऑफ ह्युमेनिटिज एण्ड सोशल साइंसेज, जनवरी 2012, वॉल्यूम 3 (2) ऊषा, पी. (2007), ष्इमोशनल एडजस्टमेंट और फैमिली एक्सेप्टेंस ऑफ दा
2. चाइल्ड रू कोरेलेटेड्स फॉर अचीवमेंट एज्यूट्रेक्स, नीलकमल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, वॉल्यूम 6, नम्बर 10 जून 2007
3. ठक्कर पी.डी. (2003), ष्ए स्टडी ऑफ एकेडेमिक अचिवमेंट, एडजस्टमेंट एण्ड स्टडी इण्डियन एज्यूकेशनल एब्स्ट्रेट, एन.सी. ई.आर.टी., जनवरी 2003
4. बशीर आई और मदद एन. एच. (2011). ष्ए स्टडी ऑन स्टडी हैबिट्स एण्ड एकेडेमिक परफोरमेन्स अमंग एडोल्डसेट्स इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस टूमोरो, वॉल्यूम 1 नम्बर 5
5. काशीराम. एच. एम. (1991), ए स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट अमंग माइग्रेट हिन्दी एण्ड नॉन हिन्दी स्टूडेन्ट्स, स्टेडीइंग इन जवाहर नवोदय विद्यालय, इनडिपेन्डेन्ट स्टेडी, कर्नाटक यूनिवर्सिटी, एन.सी.ई.आर.टी. पिपथ सर्वे ऑफ एज्यूकेशनल रिसर्च, एम.बी. बुध
6. कौर, मंजीता (2013). ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी ऑफ सीनियर सैकेण्डरी स्कूल स्टूडेन्ट्स, इण्टरनेशनल इण्डेक्स् रेफरर्ड रिसर्व जर्नल, जनवरी, 2013, आई.एस.एस.एन.रू 2250–2629
7. कौर, सरबजीत (2012). ष्ए स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ हाई स्कूल स्टुडेण्ट्स इन रिलेशन टू देअर अचीवमेंट सेक्स एण्ड लोकल्टी इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन एज्यूकेशन मैथडोलॉजी कांसिल फॉर इनोवेटिव रिसर्च, वॉल्यूम नम्बर 2 मई 2012
8. कुकरेती, बी.एन. (1994), एडजस्टमेंट ऑफ प्री. एडोल्सेंट स्टूडेण्ट्स ऑफ सरस्वती विद्या मन्दिर, कॉन्वेन्ट स्कूल एण्ड गवर्मेण्ट जूनियर हाई स्कूल, ए कम्पेरेटिव स्टडी, पीएच.डी. शिक्षा, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, बॉल्यूम 13
9. कुमार, दिनेश (2012), ए स्टडी ऑफ एचीवमेंट ऑफ सैकण्डरी स्कूल स्टूडेण्ट्स इन रिलेशन टू देयर स्टडी हैबिट इन रूरल एण्ड अरबन एरिया ऑफ रेवाडी डिस्ट्रिटष, इन्टरनेशनल इन्डेक्सड एण्ड रेफर्ड रिसर्च जर्नल, जनवरी 2013 वॉल्यूम 4
10. कुमार, नरेश (2009), ष्ए स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ मास मिडिया ऑन स्टडी हैबिट्स एण्ड वैल्यू ऑफ एडोल्सेंटष, शोध पत्र, शोध, समीक्षा औरबशीर आई और मद्दू एन. एच. (2011). ए स्टडी ऑन स्टडी हैबिट्स एण्ड एकेडेमिक परफोरमेन्स अमंग एडोल्डसेंट्सश, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस टूमोरो, वॉल्यूम 1 नम्बर 5